होती है। उक्त विवेचन के प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र अ.धारा 251 (क) रा.का.अ. साबित होने के स्वीकार किया जाना तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र एतराज साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र एतराज मौका रिपोर्ट खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 (क) रा. का. अ. साबित होने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम हलका की सरहद में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.न. 13 व 14 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.न. 112 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे 20 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जाता है। रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में से भूमि देवेंगे। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करें तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम करें। रास्ते में तत्काल आवागमन चालु करावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.6.18 को खुले कोर्ट खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)